: — : संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट : — :

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, मुख्य बैंच नई दिल्ली के प्रकरण संख्या 270/2022 के में वर्णित शिकायत में वर्णित तथ्यो के संबंध में आज दिनांक 24.06.2022 को मुझ उपखण्ड अधिकारी मकराना जिला–नागौर द्वारा तहसीलदार मकराना जिला–नागौर एवं उप वन संरक्षक जिला–नागौर के साथ मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका मुआयना/निरीक्षण के निम्न तथ्य सामने आये :–

1. यह है कि शिकायत वर्णनानुसार शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2018 में ग्राम मकराना से मंगलाना रोड़ पर लगे वृक्ष/पेड़ो की अवैध कटाई की गई जिसकी शिकायत उपखण्ड कार्यालय मकराना में की गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

   इस संबंध में श्री मुकीम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया जिन्होने अपने जवाब में तथा जांच कार्यवाही के दौरान पुछताछ करने पर पाया गया कि वर्ष 2018 में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में वर्णित 2 पेड़ो की कटाई के एवज में अब्दूल मुकीम पुत्र अब्दूल हकीम राठौड़ जाति–राठौड़ मुसलमान निवासी मकराना द्वारा 8 पेड़ लगाये गये है, तथा संरक्षण भी किया जा रहा है जिसका मौका निरीक्षण से सत्यापित है मौके पर पेड़ लगे हुये है तथा संरक्षण कार्य भी किया जा रहा है। श्री मुकीम द्वारा अपने पुश्तैनी गौदाम का पांच भाईयों के मध्य बंटवारा होने के कारण अलग–2 पांच गोदाम बनाये गये है तथा उक्त गोदामों के बीच रास्ते में स्थित निम्न के पेड़ो की कटाई की गई जिससे की वाहन गोदामों में आ जा सके।

2. यह है कि शिकायतकर्ता के वर्णनानुसार वर्ष 2021 में बस स्टेण्ड मकराना और मस्जिद के पास घाटी चौराहा के पास पेड़ काटे जाने संबंधी शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अर्थात टोल फ्री नम्बर पर की गई।

   इस शिकायत के संबंध में श्री मुख्तियार गौड़ को जरिये नोटिस तलब किया गया जिन्होने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि उक्त शिकायत के संबंध में श्री मुख्तियार गौड़ से पुछताछ करने पाया कि उक्त पेड़ अज्ञात कारणों से सुख गया था जो कि हरी भी नहीं हा रहा और नष्ट होने वाला सा होने के कारण इसी जगह दूसरा पेड़ लगवाने की नीयत से उक्त पेड़ हटवा दिया गया। उक्त पेड़ हटाये जाने की कार्यवाही के दौरान इस संबंध में किसी विभाग/संस्था को श्री मुख्तियार गौड़ द्वारा सूचित नहीं किया गया। श्री मुख्तियार गौड़ द्वारा कथन किया गया उक्त पेड़ उनके द्वारा निजी स्वार्थ एवं बदनियती से नहीं हटाया गया। उक्त शिकायत गलत, झूठ, मनगढ़त, तथ्यहीन होने से अस्वीकार किया कि इनके द्वारा मकराना शहर में विभिन्न जगह अपने स्वयं के खर्चे से कब्रिस्तान व तहसील परिसर व अन्य स्थानो पर तथा प्राईवेट स्कूलों में पेड़ पौधे लगाने हेतु डोनेशन भी दिया जाना बताया है। इस बाबत् नगर परिषद मकराना द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया। दौराने संयुक्त मौका निरीक्षण के पाया गया कि श्री मुख्तियार स्वयं ने परिसर में पेड़ पौधे लगा रखे है, पूर्व में शिकायतकर्ता श्री ईश्वरसिंह के साथ मौका स्थिति की जांच/कार्यवाही तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी डीडवाना द्वारा दिनांक 12.01.2021 की गई थी। उक्त जांच कार्यवाही पर रिपोर्ट पर शिकायकर्ता श्री ईश्वरसिंह व श्री मुख्तियार गौड़ के हस्ताक्षर अंकित है।

C.S.

24/6/22 D.C.F. Ngr.   TDR Malsrang   24/6/22 SDO मकराना   जिला मजिस्ट्रेट नागौर

3. इसी प्रकार वर्ष 2021 में की गई अन्य शिकायत जिसमें वर्णपनुसार मोडी मस्जिद के पास स्थित नैनीताल मार्बल के साईन बोर्ड के पास मुख्य सड़क से दक्षिण दिशा में एक नीम के पेड़ को काटा हुआ बताया है।

इस संबंध में श्री जाकिर हुसैन को जरिये नोटिस तलब कर जवाब प्राप्त किया गया जिन्होने लिखित अभिकथन किया कि जवाबदेहन्दा स्वयं प्रकृति प्रेमी व्यक्ति है तथा अपने गोदाम एवं घर कई वृक्ष लगा रखे है इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष राजकीय विधालय गुणावती व आस–पास में वृक्षारोपण कार्य किया है। शिकायतकर्ता ने आगे जवाब में बताया कि कुछ वर्षो पूर्व उनके गोदाम के पास खड़े वृक्ष को किसी अज्ञात वाहन/तेज हवा चलने से रात्रि के समय वृक्ष तने से अलग हो गया था जिसका बचा हुआ अवशेष भाग आज भी मौके पर स्थित है, फोटोग्राफ संलग्न है। जवाबदेहन्दा द्वारा किसी प्रकार से अवैध तरीके वृक्ष की कटाई नही की गई। वर्तमान में भी मौके पर उक्त वृक्ष का आधा तना भाग खड़ा हुआ है।

इस संबंध में पूर्व में भी जांच रिपोर्ट दिनांक 28.01.2021 जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी डीडवाना द्वारा शिकायतकर्ता श्री ईश्वरसिंह, व कथित आरोपी श्री जाकिर के साथ मौका निरीक्षण किया जाकर तैयार की गई थी। जिसमें अंकित है कि मोडी मस्जिद के पास स्थित मार्बल के साईन बोर्ड के पास एक नीम का पेड़ जिसका तना करीबन 7 फीट मौके पर काटा हुआ व खड़ा है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट में अंकित है कि मौके पर उपस्थित लोगो ने बताया कि इस पेड़ के उपर से बिजली की बड़ी लाईन जिसकी वजह से कभी कोई हादसा हो सकता है। किसी निजी स्वार्थ से इस नीम के पेड़ को नहीं काटा गया है। शिकायत में वर्णित एवं जवाब के तर्ज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संयुक्त टीम के मौका मुआयना किया जिसके दौरान मौके पर आजदिन भी शिकायत में वर्णित उक्त पेड़ का कटा हुआ तना मौके पर पाया गया है।

TDR Makrana.

24/6/22 SDO Mkn.

24/06/22 D.C.F. Nagaur.

C.S.

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर